

प्रेषक,

डी0एस0गब्याल,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
शहरी विकास निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2015

विषय:- प्रदेश के नगर पंचायतों में पालिका केन्द्रीयित/अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:-756 /IV(1)/2015-01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा निर्धारित नगर पंचायतों की श्रेणीवार मानकों/स्वीकृत पदों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर पंचायतों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के उपरान्त पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में तत्काल प्रभाव से संलग्नक-1 में उल्लिखित 07 सेवा संवर्ग यथा-पालिका प्रशासी सेवा, पालिका अभियन्त्रण सेवा, पालिका राजस्व सेवा, पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा, पालिका लेखा सेवा, पालिका मिनिस्ट्रियल सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत पालिका केन्द्रीयित सेवा एवं पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. स्थानीय निकायों में पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समस्त चतुर्थ श्रेणी संवर्ग, कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मौहरीर, मानचित्रकार, पर्यावरण पर्यवेक्षक को छोड़कर उक्त पदों से उच्च स्वीकृत सभी पदों को पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में स्वीकृत किये गये है। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर निकायों में कार्यरत समूह 'ग' की निकायवार ज्येष्ठता सूची सम्बन्धित निकायों द्वारा निर्धारित कर निर्गत की जायेगी तथा निकायवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर पदोन्नति आदि हेतु राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित कर जारी की जायेगी। उच्च पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति/नियुक्ति संगत सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधनोंपरान्त शासन/निदेशालय द्वारा की जायेंगी।
2. स्वीकृत पुनर्गठन ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से संगत सेवा नियमावली प्रख्यापित की जायेगी। नियमावली प्रख्यापित होने तक शासन/निदेशालय के अग्रिम आदेशों तक ऐसे पदों पर किसी भी दशा में कोई भी नियमित नियुक्ति नहीं की जायेंगी।
3. पालिका केन्द्रीयित सेवा के सृजित किये गये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) संगत सेवा नियमावलियों/नियमों के अधीन की जायेगी। किसी भी


दशा में स्थानीय स्तर पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर भर्ती, नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जायेगी।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में सफाई कर्मचारियों के पूर्व पदनाम को परिवर्तित कर "पर्यावरण मित्र" तथा सफाई नायक के पदनाम को परिवर्तित कर "पर्यावरण पर्यवेक्षक" रखा जाता है।
5. शासन द्वारा दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ आदि नियुक्तियों पर पूर्व में ही प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः स्वीकृत पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर किसी भी दशा में दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर नहीं की जायेंगी। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों की सीमा तक शासन द्वारा निर्धारित आउटसोर्सिंग एजेन्सी आदि के माध्यम से निकाय अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तैनाती करेगा। ऐसे तैनात कार्मिकों को तैनाती से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि उनका नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल हटा दिया जायेगा।
6. स्वीकृत ढांचे के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति की जाती है तो सम्बन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेंगी और सम्बन्धित को किये गये अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित निकाय के आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी।
7. स्वीकृत किये जा रहे पुनर्गठन ढांचे में पूर्व स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पद मृत संवर्ग (डाइंग कैंडर) घोषित होने के दृष्टिगत स्वीकृत ढांचे में ऐसे कार्मिकों में से परिचारक, चौकीदार क्लीनर, बेलदार, को बहुउद्देशीय निकाय कर्मी स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में ऐसे कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अन्तर तक ही बहुउद्देशीय कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा सकेंगे।
8. निकायों में पूर्व सृजित टोल महोर्ार, भिश्ती, पशुचिकित्सा अधिकारी, वैध/हकीम श्रेणी-3, कम्पाउंडर, दाई, लोहार, मेसन, टीकाकार, मेसन, वन रक्षक, सहायक अध्यापिका, लाइब्रेरियन, आदि पदों की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत समाप्त किया गया है। उक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे, उनकी सेवा निवृत्ति/मृत्यु के पश्चात सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। निकायों में पूर्व से सृजित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग सहित अन्य मृत संवर्ग के पदों पर कार्यरत कार्मिक अपने पदों पर बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिकों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। पदधारकों की मृत्यु उपरान्त मृतक आश्रित को छोड़कर किसी प्रकार की कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।
9. श्रेणीवार स्थानीय निकायों में स्वीकृत उक्त सेवा संवर्गों में स्थानीय निकायों के स्वीकृत ढांचे में जिन निकायों में पूर्व स्वीकृत पद मानक के आधार पर कम हो रहे हैं, ऐसी निकायों में पूर्व स्वीकृत पद यथावत रहेंगे, किन्तु ऐसे पद धारकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप स्वीकृत पदों की सीमा तक स्वतः समाप्त हो जायेंगे। मृतक आश्रित को छोड़कर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।
10. स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त नगर निकाय अपनी आवश्यकता/आय श्रोतों के दृष्टिगत यदि किसी कार्मिक की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना चाहती है, तो इस हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा निदेशालय के माध्यम से शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। शासन की अनुमति पश्चात् ही सम्बन्धित कार्मिक को मानदेय आदि का भुगतान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।

9/11

11. पुनर्गठन के फलस्वरूप निकायवार स्वीकृत ढांचे का अनुमोदन अनिवार्य रूप से सम्बन्धित नगर पंचायत, द्वारा अपने बोर्ड से प्राप्त किया जायेगा।
12. शासन द्वारा जनसंख्या आदि के आधार पर विभक्त श्रेणियों, पदों हेतु स्वीकृत/निर्धारित मानकों के आधार पर समय-समय पर नवगठित/उच्चिकृत होने वाली स्थानीय निकायों में पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों का ढांचा स्वतः लागू होगा।
13. पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के स्वीकृत पुनर्गठन ढांचे में पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के स्वीकृत ढांचे के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय भार का भुगतान राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित अनुदान (Devolution Grant) से किया जाता है। स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त कम पड़ने वाले व्ययभार को सम्बन्धित नगर पंचायत अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेंगी।
14. उक्त के फलस्वरूप पालिका केन्द्रीयित सेवा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2006/न0वि0/अभि0/2001-264/न0वि0/2001,दिनांक 01-08-2001 ~~इस~~ सीमा तक संशोधित समझा जाय।


यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:-134(C)/XXXII(2)/2015 दिनांक 11 जून, 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (डी0एस0गर्ब्याल)  
 सचिव।

संख्या:-75<sup>th</sup>(1)/IV-1/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाय, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईवर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,  
  
 (डा0वी0षणमुगम)  
 अपर सचिव।

शासनादेश संख्या-759/IV(I)/2015-01(32)/2014 दिनांक 12 जून 2015

नगर पंचायत श्रेणी -1, नगर पंचायत जिनकी जनसंख्या 10000 से अधिक है। (कुल निकाय - 7)  
निकाय का नाम :- लक्सर, लण्डौरा, महुआखेडागंज, दिनेशपुर, झबरेडा, केलाखेडा, भगवानपुर

क्र० सं०	पदनाम	पुनर्गठन के पश्चात् पदों की संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
<b>पालिका केन्द्रीयत सेवा</b>				
1	अधिशारी अधिकारी, न0प0	7	5200-20200	2800
2	वरिष्ठ सहायक	7	5200-20200	2800
3	सफाई निरीक्षक	7	5200-20200	2800
4	कर एवं राजस्व निरीक्षक	7	5200-20200	2800
<b>पालिका अकेन्द्रीयत सेवा</b>				
5	लेखा लिपिक	7	5200-20200	2000
6	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	14	5200-20200	2000
7	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व माहेरिंर	14	5200-20200	2000
8	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	14	5200-20200	2000
<b>आउटसोर्सिंग</b>				
9	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)	2 पद प्रति हजार जनसंख्या 2011 के अनुसार		
10	वहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	70		
11	वाहन चालक	वाहन की उपलब्धता के अनुसार		
12	लाइनमैन	7		
13	माली	7		

<b>नगर पंचायत- श्रेणी-1</b>				
क्र०सं०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
1	हरिद्वार	नगर पंचायत, लक्सर	21760	43
2		नगर पंचायत, लण्डौरा	18370	37
3		नगर पंचायत, भगवानपुर	17304	35
4		नगर पंचायत, झबरेडा	11186	23
5	ऊधमसिंहनगर	नगर पंचायत, दिनेशपुर	11343	23
6		नगर पंचायत, केलाखेडा	10929	21
7		नगर पंचायत, महुआखेडागंज	12584	25
<b>योग:-</b>				<b>207</b>

नगर पंचायत श्रेणी -2, नगर पंचायत जिनकी जनसंख्या 10000 से कम है। (कुल निकाय - 38)  
निकाय का नाम :- सुल्तानपुर पट्टी, हरबर्टपुर, गौचर, चिन्धालीसौड, डोईवाला, गैरसैण, कर्णप्रयाग, लोहाघाट, चम्बा, भीमताल, लालकुंआ, कालादूंगी, महुआडाबरा, गंगोलीहाट, अगस्त्यमुनि, बड़कोट, डीडीहाट, शक्तिगढ़, पोखरी, कपकोट, पुरोला, स्वर्गाश्रम जौंक, ऊखीमठ, द्वाराहाट, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, कीर्तिनगर, गंगोत्री, केदारनाथ, बेरीनाग, सतपुली, बनबसा, बद्दीनाथ पुरी, घनसाली, चौखुटिया, नौगाँव, मुनस्यारी, कालागढ़


क्र०स०	पदनाम	पुनर्गठन के पश्चात् पदों की संख्या	प्रस्तावित वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
<b>पालिका केन्द्रीयत सेवा</b>				
1	अधिशारी अधिकारी न0प0	38	5200-20200	2800
2	वरिष्ठ सहायक	38	5200-20200	2800
<b>पालिका अकेन्द्रीयत सेवा</b>				
3	लेखा लिपिक	38	5200-20200	2000
4	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	38	5200-20200	2000
5	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व माहेरि	38	5200-20200	2000
6	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	38	5200-20200	2000
<b>आउटसोर्सिंग</b>				
7	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)	2 पद प्रति हजार जनसंख्या 2011 के अनुसार, न्यूनतम 5		
8	वहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	190		
9	वाहन चालक	वाहन की उपलब्धता के अनुसार		
10	लाइनमैन	38		
11	माली	38		

<b>नगर पंचायत- श्रेणी-2</b>				
क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
1.	रुधमसिंहनगर	नगर पंचायत, सुल्तानपुर पट्टी	9881	19
2.		नगर पंचायत, महुआडाबरा	7326	15
3.		नगर पंचायत, शक्तिगढ़	6309	13
4.	देहरादून	नगर पंचायत, हरबर्टपुर	9782	19
5.		नगर पंचायत, डोईवाला	8709	17
6.	चमोली-गोपेश्वर	नगर पंचायत, गौचर	8864	17
7.		नगर पंचायत, गैरसैण	8665	17
8.		नगर पंचायत, कर्णप्रयाग	8297	17
9.		नगर पंचायत, पोखरी	6119	13
10.		नगर पंचायत, नन्दप्रयाग	1641	5

नगर पंचायत- श्रेणी-2

क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
11.		नगर पंचायत, बद्रीनाथ पुरी	2307	5
12.	उत्तरकाशी	नगर पंचायत, चिन्यालीसौड़	8844	17
13.		नगर पंचायत, बड़कोट	6720	13
14.		नगर पंचायत, पुरोला	5306	11
15.		नगर पंचायत, गंगोत्री	110	5
16.		नगर पंचायत, नौगाँव	3875	7
17.		चम्पावत	नगर पंचायत, लोहाघाट	7926
18.	नगर पंचायत, बनबसा		7990	15
19.	नैनीताल	नगर पंचायत, भीमताल	7722	15
20.		नगर पंचायत, लालकुंआ	7644	15
21.		नगर पंचायत, कालाढूंगी	7611	15
22.	रुद्रप्रयाग	नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि	6905	13
23.		नगर पंचायत, ऊखीमठ	2920	5
24.		नगर पंचायत, केदारनाथ	612	5
25.	टिहरी	नगर पंचायत, चम्बा	7771	15
26.		नगर पंचायत, कीर्तिनगर	1517	5
27.		नगर पंचायत, घनसाली	7775	15
28.		नगर पंचायत, देवप्रयाग	2152	5
29.	पिथौरागढ़	नगर पंचायत, डीडीहाट	6522	13
30.		नगर पंचायत, गंगोलीहाट	7112	15
31.		नगर पंचायत, बेरीनाग	7641	15
32.		नगर पंचायत, मुनस्यारी	3620	7
33.	बागेश्वर	नगर पंचायत, कपकोट	5365	11
34.	पौड़ी	नगर पंचायत, स्वर्गआश्रम -जौक	4669	9
35.		नगर पंचायत, सतपुली	4226	9
36.		नगर पंचायत, कालागढ़	6789 लगभग	13
37.	अल्मोड़ा	नगर पंचायत, द्वाराहाट	2749	5
38.		नगर पंचायत, चौखुटिया	4796	9
योग:-				454

नगर पंचायतों में वाहन चालक की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी, जिन नगर पंचायतों में नियमित वाहन चालक कार्यरत है वहाँ कार्यरत कार्मिक अपने पदों पर बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिकों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। ऐसे पदों पर मृतक आश्रितों को छोड़कर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी व ऐसे पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानक के अनुसार भर्ती की जायेगी।

आज्ञा से,  
  
 (डा०वी०षण्णमुगम)  
 अपर सचिव।